न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0–351 सन् 2005

अमरेन्द्र तिवारी.........................वादी।

बनाम

विष्णु भगवान तिवारी वगैरह..................................प्रतिवादीगण।

दिनांक– 13.10.2023

उभय पक्ष अनुपस्थित है। उभय पक्ष उचित पैरवी करें। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 04 वो धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 06.02.2023 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद के प्रतिवादी सं0 04 श्यामबिहारी तिवारी की मृत्यु दिनांक 27.12.2022 को अपने तीन पुत्र अनिल कुमारी तिवारी, अवानीन्द्र कुमार तिवारी एवं अविनाश कुमार तिवारी एवं दो पुत्री प्राज्ञा उपाध्याय जौजे– बिनोद उपाध्याय एवं भारती देवी जौजे–धर्म शंकर मिश्रा को छोड़कर हो गई है। प्रतिवादी सं0 04 की पत्नी की मृत्यु पूर्व में ही हो चुकी है। न्यायाहित में प्रतिवादी सं0 04 का नाम वादपत्र से कलमजद होना तथा उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित होना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0 04 का नाम वादपत्र से कलमजद कर उनके कानूनी वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा प्रदान की जाए।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 04 श्याम बिहार तिवारी थे जिनकी मृत्यु दिनांक 27.12.2022 को अपने अवास पर हो गई है। वादी का आवेदन में कथन है कि प्रतिवादी सं0 04 श्यामबिहारी तिवारी की मृत्यु दिनांक 27.12.2022 को अपने तीन पुत्र अनिल कुमारी तिवारी, अवानीन्द्र कुमार तिवारी एवं अविनाश कुमार तिवारी एवं दो पुत्री प्राज्ञा उपाध्याय जौजे– बिनोद उपाध्याय एवं भारती देवी जौजे–धर्म शंकर मिश्रा को छोड़कर हो गई है। प्रतिवादी सं0 04 की पत्नी की मृत्यु पूर्व में ही हो चुकी है। वादी की ओर से उक्त प्रतिस्थापना आवेदन शपथ पत्र के साथ समय सीमा के अंतर्गत दाखिल किया गया है। अतः वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापिना आवेदन दिनांक 06.02.2023 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है।

वाद दिनांक.....................को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर, सारण।